



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ ज्येष्ठ 16, 1939

No. 457]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/ JYAISTHA 16, 1939

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

सा.का.नि. 556(अ).—भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर तारीख 13 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और उक्त संधि की अनुसमर्थन की लिखतों का बाकू में तारीख 20 जून, 2014 को आदान-प्रदान किया गया था;

और, इस संधि के अनुच्छेद 23 के पैरा (1) उपबंधों के अनुसार तारीख 20 जून, 2014 से उक्त संधि प्रवृत्त हुई;

और, उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय-2 से भिन्न, उपबंध अजरबैजान गणराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

“भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य और अजरबैजान गणराज्य

जिन्हें इसमें इसके बाद "पक्ष" कहा गया है

दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा से;

अपराध से और प्रभावी ढंग से लड़ने में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की इच्छा से; और

दोनों देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित मामले में सहयोग के लिए इच्छुक होकर,
निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद एक

प्रत्यर्पण का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो अनुच्छेद 2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए अभियुक्त अथवा सिद्धदोष है जो अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में किया गया है और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में पाया गया है चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है।
2. इस संधि के अनुच्छेद 2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र से बाहर किया गया है किंतु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का समान परिस्थितियों में, ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार हो।
3. इस संधि के अनुच्छेद 2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा, यदि यह अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी नागरिक द्वारा किसी तीसरे राष्ट्र में किया जाता है और उसका अधिकार क्षेत्र अपराधी की नागरिकता पर है।
4. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध में कई अलग-अलग अपराध शामिल किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों पक्षकारों के कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय है, किन्तु उनमें से कुछ इस संधि में वर्णित अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार शेष अपराधों के लिए प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है बशर्ते कि व्यक्ति को कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जाना हो।

अनुच्छेद दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ कोई प्रत्यर्पणीय अपराध ऐसे आचरण से घटित होता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि की कैद की सजा दिए जाने योग्य हो। सिद्धदोष व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए सजा की शेष अवधि कम से कम छह माह होनी चाहिए।
2. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा चाहे वह अपराध कराधान अथवा राजस्व से संबंध रखता हो या वह नितान्त रूप से वित्तीय स्वरूप का हो।
3. इस संधि के अनुसार किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा चाहे वांछित व्यक्ति का वह आचरण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किया गया हो यदि यह आचरण और इसका प्रभाव, अथवा इसका वांछित रूप से संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के तहत प्रत्यर्पणीय अपराध किया गया माना जाए।

अनुच्छेद तीन

प्रत्यर्पण से इंकार

1. प्रत्यर्पण नहीं प्रदान किया जाएगा:
 - (क) यदि जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया है वह एक राजनैतिक प्रकृति का अपराध है;
 - (ख) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध व्यक्ति को उसके वंश, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनैतिक विचारधारा के लिए मुकदमा चलाने अथवा दण्डित करने के प्रयोजन के लिए किया गया है; अथवा इनमें से किसी आधार पर व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

- (ग) यदि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है वह सैनिक कानून के अंतर्गत एक अपराध है, जो सामान्य दाण्डिक कानून के तहत भी एक अपराध नहीं है;
- (घ) प्रत्यर्पित किए जाने के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में आश्रय दिया गया है;
- (ङ.) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का एक नागरिक है;
- (च) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष ने जिस अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके संबंध में वांछित व्यक्ति के खिलाफ अंतिम अधिनिर्णय पारित कर दिया है;
- (छ) अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध वांछित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित अधिनिर्णय के अनुसरण में किया गया है तब जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष यह गारंटी न दे कि वांछित व्यक्ति के मामले का विचारण प्रत्यर्पण के उपरान्त दुबारा किया जाएगा;
- (ज) दोनों में से किसी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार प्रत्यर्पण किए जाने के लिए वांछित व्यक्ति या तो दाण्डिक अभियोजन से उन्मुक्त हो चुका है या समय के व्यपगत होने के कारण अथवा अन्य विधिक आधार पर सजा काट रहा है;
- (झ) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में प्रत्यर्पण किए जाने के लिए वांछित व्यक्ति को उस अपराध के लिए क्षमादान या राजक्षमा दिया गया है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।
2. इस संधि के अनुप्रयोग में निम्नलिखित को राजनैतिक अपराध नहीं माना जाएगा;
- (क) दोनों में से किसी पक्ष के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उनके परिवारों के किसी व्यक्ति पर हमला;
- (ख) आतंकी हमला;
- (ग) किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसके दोनों संविदाकारी पक्ष पक्षकार हैं, में विनिर्दिष्ट कोई अपराध जो ऐसे अपराध को करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन चलाने अथवा उसे प्रत्यर्पित करने के लिए पक्षकारों को बाध्य करता है;
- (घ) हत्या;
- (ङ.) नरबध या गैर-इरादतन मानवबध;
- (च) आक्रमण, जिससे वास्तविक शारीरिक क्षति पहुंचे, या जखम हो; विद्वेषपूर्ण ढंग से घाव पहुंचाया गया है या शरीर में गहरी चोट पहुंचायी गयी हो चाहे किसी हथियार से, खतरनाक पदार्थ या किसी अन्य तरीके ऐसा किया गया हो;
- (छ) विस्फोटक रखना, जिससे जीवन को खतरा होने की या सम्पत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना हो;
- (ज) किसी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक का निर्माण करना अथवा अपने कब्जे में आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद रखा जाना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन अथवा संपत्ति को गंभीर खतरा पहुंचाने की मंशा रखता हो;
- (झ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटकों का उपयोग स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाए जाने से रोकने या बचाव करने के आशय से किया जाना;
- (ञ) अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रतिरोध करने अथवा रोकने की मंशा से किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना;
- (ट) अन्य लोगों के जीवन के खतरे की बिल्कुल परवाह किये बिना अथवा जीवन को खतरा पहुंचाने की मंशा से सार्वजनिक संपत्ति अथवा अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना;

- (ठ) अपहरण; अगवा; मिथ्या बंदी या गैर-कानूनी कैद बंदी जिसमें बंधक बनाना भी शामिल है;
- (ड) हत्या के लिए उकसाना;
- (ढ) आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध जो अनुरोध किए जाने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत राजनैतिक प्रकृति का अपराध नहीं समझा जाता है;
- (ण) उपरोक्त में से किसी अपराध को करने का प्रयास करना या उसके लिए षड्यंत्र करना या उस व्यक्ति के सहयोगी के रूप में भागीदारी करना जो ऐसे अपराध को करता है या करने का प्रयास करता है;

अनुच्छेद चार

मुकदमा चलाने का दायित्व

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अधिकारिता के आधार पर प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध को स्वीकारने से इंकार करता है तो वह जिन अपराधों के लिए भगोड़े व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उनके संबंध में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी के पास मामला भेजेगा।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेता है तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद पांच

अपने नागरिकों के अप्रत्यर्पण के परिणाम

यदि प्रत्यर्पण का इंकार नागरिकता के आधार पर किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने कानूनों के अनुसार उसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। इसके लिए अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को संगत दस्तावेज और प्रमाण देगा।

अनुच्छेद छह

प्रत्यर्पण का स्थगन और अस्थायी प्रत्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा वहां सजा काट रहा है तो मामले की कार्यवाही हो जाने तक अथवा सजा के अंत तक अथवा छोड़े जाने तक प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है और इसकी जानकारी अनुरोधकर्ता पक्ष को दी जाएगी।
2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से परिसीमा समाप्त हो सकती है अथवा जांच में बाधा आ सकती है तो अनुरोधकर्ता पक्ष के विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
3. अस्थायी रूप से प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्यवाही के समाप्त हो जाने के तुरंत बाद अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को लौटा दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद सात

प्रत्यर्पण क्रिया विधि

1. प्रत्यर्पण अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।
2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा:
 - 2.1 जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसका नाम और उपनाम (पैतृक नाम) उसकी नागरिकता, निवास स्थान अथवा अता-पता और अन्य सम्बद्ध जानकारी तथा यदि संभव हो तो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है, वैसा विवरण, उसका फोटो और उंगलियों की छाप;

- 2.2 जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का विवरण और आरोप संबंधी दस्तावेज एवं आरोप और
- 2.3 तदनुरूपी कानून का पाठ;
- 2.3.1 उस अपराध की व्याख्या; और
- 2.3.2 उस अपराध के लिए सजा का निर्धारण।
3. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट जानकारी के अतिरिक्त मुकदमा चलाए जाने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट लगा होना चाहिए।
4. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध है, जो पहले ही सिद्धदोष है और उसे सजा हो चुकी है तो उसके साथ निर्णय की सत्यापित प्रति और ऐसा वक्तव्य भी लगा होगा कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा पर कोई प्रश्न करने का अधिकारी नहीं है और यह बताया जाएगा कि कितनी और सजा रह गई है;
5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का यह विचार है कि इस संधि के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य और दी गई जानकारी अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उपयुक्त समय के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
6. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध और उसके समर्थनकारी दस्तावेजों पर अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और अधिकृत मुहर लगाई जाएगी।

अनुच्छेद आठ

अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामले में प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति को इस संधि के अनुच्छेद 7 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होने से पहले अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आवेदन पर अनन्तिम तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे आवेदन को फैक्स द्वारा अथवा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (इण्टरपोल) पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत अन्य माध्यमों से भेजा जा सकता है।
2. उक्त आवेदन में इस संधि में अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट डाटा, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट अथवा प्रभावी सजा का विवरण और यह संकेत कि प्रत्यर्पण किए जाने के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अविलम्ब अनुरोधकर्ता पक्ष को अनुरोध पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि गिरफ्तारी के 60 दिनों की अवधि के भीतर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं करता, तो अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा।
5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में विनिर्दिष्ट समायावधि के समाप्त होने से व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर विचार नहीं रोका जाएगा यदि बाद में उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है।

अनुच्छेद नौ

विशिष्टता का नियम

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति के बिना प्रत्यर्पित व्यक्ति पर अनुरोधकर्ता पक्ष में उस अपराध के इतर किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है तथा उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा उद्घाटित किसी कमतर अपराध के लिए न तो मुकदमा चलाया जाएगा और न ही उसे सजा दी जाएगी, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सहमति के बिना किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति आवश्यक नहीं होगी यदि,
 - 2.1 अवसर होने पर भी प्रत्यर्पित व्यक्ति ने दण्डित कार्यवाही के समाप्त होने, सजा पूरी होने अथवा किसी विधिक आधार पर छोड़े जाने के 30 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र को न छोड़ा हो। ऐसी अवधि में वह समयावधि शामिल नहीं समझी जाएगी जिस दौरान प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से अनुरोधकर्ता पक्ष का भू-क्षेत्र छोड़ने में असमर्थ हो,
 - 2.2 प्रत्यर्पित व्यक्ति एक बार अनुरोधकर्ता पक्ष का क्षेत्र छोड़ देता है परंतु स्वेच्छा से लौट आता है।
3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान अनुरोधकर्ता राज्य के व्यक्ति के लौटने के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों से संबंधित उठने वाले मामलों में लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद दस

दस्तावेजों तथा साक्ष्यों का अभिज्ञान

1. किसी एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में निर्धारित तरीके से सक्षम न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा अपने नियमों के अनुसार जारी अथवा सत्यापित दस्तावेजों तथा रिकार्ड किए गए दस्तावेजों को अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रमाणित करना अपेक्षित नहीं होगा।
2. किसी भी एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सार्वजनिक समझे गए दस्तावेज अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में भी सार्वजनिक दस्तावेजों की तरह स्पष्ट रूप से लागू होंगे।

अनुच्छेद ग्यारह

समवर्ती अनुरोध

यदि एक से अधिक राष्ट्र उसी अथवा भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष सभी परिस्थितियों, खासतौर पर अपराध अथवा अपराधों की तुलनात्मक गंभीरता, अपराध किए जाने का स्थान, अनुरोध की संबंधित तारीखों, प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता तथा बाद में किसी दूसरे राष्ट्र को प्रत्यर्पण किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करेगा कि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति इनमें से किस राष्ट्र को प्रत्यर्पित किया जाए।

अनुच्छेद बारह

मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता राज्य की विधि के अंतर्गत वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध उस अपराध के लिए किया जाता है जिसके लिए वह मृत्यु दण्ड का पात्र है, किन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि में उस अपराध के लिए मृत्यु दण्ड की व्यवस्था नहीं है तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य के इस आश्वासन को पर्याप्त नहीं समझता कि उक्त व्यक्ति को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद तेरह

अभ्यर्पण

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के हस्तान्तरण के तौर-तरीकों पर दोनों संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परस्पर सुविधा के अनुसार सहमति की जाएगी।
2. अनुरोधकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति मिलने से एक माह के भीतर अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत स्वीकार्य अधिक अवधि के भीतर उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से अपनी हिरासत में ले लेगा। यदि इस अवधि के भीतर व्यक्ति को नहीं ले जाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उसी अपराध के लिए उसके प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

3. यदि कोई पक्ष अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण नहीं कर पाता अथवा उसे नहीं हटा पाता, तो वह दूसरे पक्ष को अधिसूचित करेगा। दोनों पक्ष अभ्यर्पण की नई तारीख के बारे में परस्पर निर्णय करेंगे और तब वर्तमान अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद चौदह

अपराध से संबंधित वस्तुओं का हस्तांतरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने विधानों की सीमा के अंतर्गत अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध करते समय प्रयोग में लाये गए सामान, अपराध के चिह्नों वाली वस्तुओं अथवा अपराध के अर्थागम को अनुरोधकर्ता राज्य को हस्तांतरित करेगा।
2. यदि व्यक्ति मर जाता है, भाग जाता है अथवा किसी अन्य कारण से प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है तो उस दशा में भी उपरोक्त सामान को हस्तांतरित किया जायेगा।
3. यदि वह सामान किसी अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अपेक्षित हो तो ऐसी कार्यवाही के अंत तक अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट सामान का हस्तांतरण अस्थायी तौर पर स्थगित कर सकता है।
4. अनुरोधकर्ता पक्ष को हस्तांतरित वस्तुओं पर तृतीय व्यक्तियों के अधिकार प्रभावी रहेंगे। कार्यवाही की समाप्ति के उपरांत, अनुरोधकर्ता पक्ष अपने प्रदेश में इन वस्तुओं को इनके स्वामियों को वापस करेगा। यदि स्वामी अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्रदेश में है तो वस्तुओं को उन्हें हस्तांतरण के लिए उसे सौंपा जाएगा। यदि स्वामी किसी तीसरे देश के प्रदेश में है तो अनुरोधकर्ता राज्य प्रभार के बिना ये वस्तुएँ उन्हें वापस कर देगा।
5. वस्तुओं और धन का हस्तांतरण अनुरोधकर्ता पक्ष की विधि में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुच्छेद पंद्रह

प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने कानून में निहित सीमा के भीतर, उस अपराध के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा।

अनुच्छेद सोलह

पारगमन

1. यदि किसी पक्ष ने तीसरे राज्य के किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष के प्रदेश से होकर प्रत्यर्पित करना है तो ऐसे पारगमन की स्वीकृति के लिए पहला पक्ष दूसरे पक्ष से अनुरोध करेगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष, अपने कानून के विरुद्ध न जाकर और इस संधि के किसी प्रावधान को प्रभावित किए बगैर अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा पारगमन के लिए किये गए अनुरोध को अनुमोदित करेगा।
3. उस स्थिति में किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है जहां पर हवाई परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है और हवाई जहाज का उतरना निर्धारित नहीं है।
4. हवाई जहाज को आकस्मिक रूप से उतारने की स्थिति में पारगमन की अनुमति के लिए अनुरोधित पक्षकार एसकोर्टिंग अधिकारी के अनुरोध पर व्यक्ति को 96 घंटे तक हिरासत में रख सकता है, जब तक कि वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के अनुसार किये जाने वाले पारगमन का अनुरोध प्राप्त न हो जाए।

अनुच्छेद सत्रह**प्रत्यर्पण व्यय**

प्रत्यर्पण से संबंधित सभी व्ययों का निर्वहन उस संविदाकार पक्ष द्वारा किया जाएगा, जिसके क्षेत्र में व्यय हुआ है। एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र से होकर तृतीय राज्य से प्रत्यर्पित व्यक्ति के पारगमन परिवहन पर हुए व्यय का निर्वहन पारगमन कराने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद अट्ठारह**भाषा**

मौजूदा संधि को पालन करते हुए, संविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे और साथ में दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करेंगे।

अनुच्छेद उन्नीस**केन्द्रीय प्राधिकारी**

केन्द्रीय प्राधिकारी इस संधि के प्रयोजनार्थ सभी अनुरोध और उससे संबंधित उत्तर प्राप्त करेंगे तथा प्रेषित करेंगे। भारतीय गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी विदेश मंत्रालय होगा और अजरबैजान गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी विधि मंत्रालय होगा।

अनुच्छेद बीस**अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियां**

मौजूदा संधि संविदाकारी पक्षों के, उन अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी, जिनके संविदाकारी पक्ष पक्षकार हैं।

अनुच्छेद इक्कीस**संशोधन**

1. इस संधि को पक्षकारों की आपसी सहमति से संशोधित किया जाएगा।
2. इस संधि के प्रवृत्त हो जाने के बाद इसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन लागू होगा।

अनुच्छेद बाइस**परामर्श**

इस संधि के कार्यान्वयन अथवा व्याख्या से उत्पन्न किसी मामले का समाधान राजनयिक चैनलों के माध्यम से विचार-विमर्श द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद तेइस**अनुसमर्थन और समापन**

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगी।
2. यह संधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनयिक माध्यम से इसे समाप्त करने संबंधी आशय की कोई सूचना न दे दें, और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो नोटिस प्राप्त होने के छह माह के बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपने-अपने प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज 2013 वर्ष में अप्रैल माह के चौथे दिन हिन्दी, अजरबैजानी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस संधि की व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता होने की दशा में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।”

भारत गणराज्य की ओर से

अजरबैजान गणराज्य की ओर से

[सं. टी-413/03/2002 (पार्टी)]

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2017

G.S.R. 556(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Azerbaijan was signed at New Delhi on the 13th day of April, 2013 and the Instruments of Ratification of the said Extradition Treaty were exchanged at Baku on 20th day of June, 2014;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 20th day of June, 2014 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 23 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter II, shall apply to Azerbaijan with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

“Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Azerbaijan

The Republic of India and the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

Desiring to strengthen the relations between two countries;

Desiring to further strengthen cooperation in fighting crime more efficiently; and

Desirous to cooperate in matters related to the extradition of criminals between two countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

1. Each Contracting Party undertakes to extradite to the other Contracting Party, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, committed within the territory of the Requesting Party, is found within the territory of the Requested Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested Party could, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence.

3. Extradition shall also be available for an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, if it is committed in a third state by a citizen of the Requesting Party and it bases its jurisdiction on the citizenship of the offender.

4. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfil the other conditions set out in this Treaty, the Requested Party may grant extradition for the latter offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

Article 2**Extradition Offences**

1. An extradition offence for the purpose of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year. For the extradition of a convict, the period remained to be served must be at least six months.
2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.
3. Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

Article 3**Refusal of Extradition**

1. Extradition shall not be granted:
 - (a) if the offence for which it is requested is an offence of a political nature;
 - (b) the Requested Party has substantial grounds for believing that a request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality or political opinion, or that persons position may be prejudiced for any of these reasons;
 - (c) if the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not also an offence under ordinary criminal law;
 - (d) the person sought to be extradited has been granted asylum in the territory of the Requested Party;
 - (e) the person, whose extradition is requested, is a citizen of the Requested Party;
 - (f) the Requested Party has passed a final judgment against the person sought to be extradited in respect of the offence for which extradition is requested;
 - (g) the request for extradition is made by the Requesting Party pursuant to a judgment passed in absentia, unless the Requesting Party gives the guarantee to retry the person wanted on extradition;
 - (h) according to the law of either the Requesting Party, the person sought to be extradited has become immune from the criminal prosecution or carrying out of a sentence by reason of lapse of time or other legal ground;
 - (i) in the territory of the Requested Party the person sought to be extradited has been pardoned or amnestied in respect of the offence for which extradition is requested.
2. In the application of this Treaty, the following shall not be regarded as political offences:
 - (a) Assault against the head of the State or head of the Government of either Party or any member of their families;
 - (b) Terrorist offences;
 - (c) Any offence specified in an international conventions to which both Contracting Parties are a Party, which obligates the parties to prosecute or extradite the fugitives of such offence;
 - (d) Murder;
 - (e) Manslaughter or culpable homicide;
 - (f) Assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
 - (g) The casing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
 - (h) The making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
 - (i) The possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;
 - (j) The use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;

- (k) Damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
- (l) Kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
- (m) Incitement to murder;
- (n) any other offence related to terrorism which at the time of the requested is, under the law of the Requested Party, not to be regarded as an offence of a political character;
- (q) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Article 4

Obligation to prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition on the basis of jurisdiction, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution of the fugitive for the offences sought for.
2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 5

Consequences of non-extradition of own citizens

1. If extradition is refused on the basis of citizenship, the Requested Party shall initiate criminal prosecution against such person for the same offence according to its laws. For this purpose, the Requesting Party shall transfer to the Requested Party the relevant documents and evidence.

Article 6

Postponement of Extradition and Temporary Extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the end of the proceedings of the case, end of sentence or release, which shall be advised to the Requesting Party.
2. If the postponement of extradition can cause the expiration of the limitation or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting Party.
3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested Party immediately after the end of the proceedings of the case.

Article 7

Extradition Procedures

1. The request for extradition shall be made through diplomatic channels.
2. The request shall be accompanied by:
 - 2.1 The name and surname (patronymic) of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and other pertaining data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints.
 - 2.2 A statement of the facts of the offence for which extradition is requested and charging document as well as accusation act;
 - 2.3 The text, of the corresponding law;
 - 2.3.1 Defining that offence; and
 - 2.3.2 Prescribing the punishment for that offence.
3. The request for extradition of an accused for trial, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest issued by a competent court or authority of the Requesting Party.
4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of sentence has not been carried out;

5. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within a reasonable time.
6. A request for extradition and its supporting documents shall be signed by the authorised person and officially sealed by the competent authority of the Requesting Party.

Article 8

Provisional Arrest

1. In case of urgency, a person sought to be extradited may be provisionally arrested on the application of the competent authority of the Requesting Party before the receiving of the request for extradition together with the documents specified in Article 7 of this Treaty. Such application can be sent by fax or through the National Central Bureau of International Criminal Police Organization (INTERPOL), or through other channels agreed by the competent authorities of the Parties.
2. The said application shall contain the data specified in paragraph 2 of Article 7 of this Treaty; a statement of existence of a warrant of arrest issued by the competent authority of the Requesting Party or a sentence that has come into force, and an indication that a formal request for extradition of the person sought to be extradited shall be submitted.
3. The Requested Party shall inform without delay the Requesting Party of the result of its handling of the request.
4. A person provisionally arrested, shall be released if, within a period of 60 days after arrest, the competent authority of the Requested Party has not received the request for his extradition.
5. The expiration of a time period stipulated in paragraph 4 of this Article shall not prevent the consideration of extradition of the person if the request for his extradition has been subsequently received.

Article 9

Rule of Speciality

1. The extradited person may not without consent of the Requested Party, be prosecuted or punished in the Requesting Party for the offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the Requesting Party, be extradited to a third State.
2. The consent of the Requested Party is not required if:
 - 2.1 the extradited person has not left, though had the opportunity, the territory of the Requesting Party within 30 days after termination of the criminal proceedings, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his control;
 - 2.2 if the extradited person, once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.
3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 10

Recognition of documents and evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent Courts or other authorities in the prescribed form in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.
2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

Article 11

Concurrent requests

If more than one State make requests for extradition of the same person for the same or different offences, the Requested Party shall decide to which of those States the person is to be extradited taking into consideration all the circumstances, especially the relative gravity of the offence or offences, the place of commission of the offence, the respective dates of requests, the nationality of the person sought to be extradited and the possibility of subsequent extradition to another State.

Article 12**Capital Punishment**

If under the law of the Requesting Party, the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty for the same offence, extradition may be refused, unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 13**Surrender**

1. The modalities of transfer of the person to be extradited shall be agreed upon by the competent authorities both the Contracting Parties as mutually convenient.
2. The Requesting Party shall take the person sought from the territory of the Requested Party within one month the consent of Requested Party to extradite or such longer period as may be permitted under the law of the Requested Party. If the person is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence.
3. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Party. The two Parties shall mutually decide upon a new date of surrender, and the provisions of paragraph 2 of the present Article shall apply.

Article 14**Transfer of articles connected with crime**

1. The Requested Party shall, within the limits of its legislation, surrender by the request of the Requesting Party the articles used for committing crime by the person being extradited, articles bearing crime traces or crime proceeds.
2. The above articles shall be surrendered also in cases where the extradition cannot be effected if the person died, fled or due to other reasons.
3. The Requested Party may temporarily postpone the surrender of the articles referred to in paragraph 1 of this Article if they are required for proceedings instituted in connection with another criminal case till the end of such proceedings.
4. The rights of third persons to the articles surrendered to the Requesting Party shall remain in force. Upon termination of the proceedings, the Requesting Party shall return these articles to their owners in its territory. If the owners are in the territory of the Requested Party, the articles are to be returned to it for the surrender to them. If the owners are in the territory of a third country, the articles shall be returned to them by the Requesting Party without charge.
5. The transfer of the articles and of money shall be effected within the limits provided for by the legislation of the Requested Party.

Article 15**Mutual Legal Assistance in Extradition**

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 16**Transit**

1. When either of the Parties is to extradite a person from a third state through the territory of the other Party, the former should request the latter for the permission of such transit.
2. The Requested Party shall, in so far as not contrary to its laws, and without prejudice to any provisions of this Treaty, approve the request for transit made by the Requesting Party.
3. No permission is required where air transport is used and no landing is scheduled for.
4. In the event of an unscheduled landing, the Party to be requested to permit transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for 96 hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraphs 1 and 2 of the present article.

Article 17**Expenses on Extradition**

All expenses related to the extradition shall be borne by the Contracting Party in whose territory the same occurred. The expenses caused by transit transportation of the extradited person by one of the Contracting Parties from a third State through the territory of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party affecting the transit.

Article 18**Languages**

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

Article 19**Central Authorities**

Central Authorities shall transmit and receive all requests and responses thereto for the purposes of this Treaty. The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs; and the Central Authority for the Republic of Azerbaijan shall be the Ministry of Justice.

Article 20**International Conventions/Treaties**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other International Conventions/Treaties to which the Contracting Parties are a Party.

Article 21**Amendment**

1. This Treaty may be amended by mutual agreement of the Parties.
2. The amendment shall come in force by the procedure provided for the entry into force of this Treaty.

Article 22**Consultation**

Any matter arising from implementation or interpretation of this Treaty shall be settled by consultations through diplomatic channels.

Article 23**Ratification and Termination**

1. This Treaty shall be subject to ratification and it shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.
2. Either of the Contracting Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other Contracting Party through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Authorities, have signed this Treaty.

Done in duplicate at New Delhi on this Fourth day of April 2013 in Hindi, Azerbaijani and English languages, each version being equally authentic. In case of any interpretational difference, the English text shall prevail.”

For the Republic of India

For the Republic of Azerbaijan

[No. T-413/03/2002 (Pt.)]

UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)